दिल्ली विकास प्राधिकरण

(मुख्य योजना अनुभाग)
सार्वजनिक सूचना
नई दिल्ली, 9 अगस्त, 2023

पीएलजी/एमपी/0142/2022/एफ–20/ दिल्ली विकास प्राधिकरण केंद्र/सरकार का दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 11– क के अंतर्गत दिल्ली मुख्य योजना–2021/जोन–'ई' की क्षेत्रीय विकास योजना में निम्नलिखित संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिसे जनता की जानकारी के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है। प्रस्तावित संशोधन के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो/कोई सुझाव देना हो, तो वे अपनी आपत्ति/सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से **30 [तीस] दिन** की अवधि के अंदर आयुक्त एवं सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण, 'बी' ब्लॉक, विकास सदन, नई दिल्ली–110023 को लिखित रूप में अथवा ई–मेल द्वारा mpd2021.public@dda.org.in पर भेज सकते हैं। आपत्ति करने अथवा सुझाव देने वाले व्यक्ति अपना नाम, पता और टेलीफोन नंबर/संपर्क नंबर/ई–मेल आई डी भी दें, जो पठनीय हो।

प्रस्तावित संशोधनः

अवस्थिति	क्षेत्रफल हेक्टेयर (वर्ग.मी. में)	दिल्ली मुख्य योजना – 2021/ जोन 'ई' की क्षेत्रीय विकास योजना के अनुसार भूमि उपयोग	भूमि उपयोग जिसमें परिवर्तित किया जाना है	सीमाएँ
1	2	3	4	5
गाजीपुर ओल्ड लोकेशन, वर्तमान में एमसीडी टोल टैक्स (एनएच–24)	0.7205 हेक्टेयर (7205 वर्ग.मी.)	**व्यावसायिक** सी2: होलसेल एवं वेयरहाउसिंग दिल्ली मुख्य योजना 2021 के अनुसार **मनोरंजनात्मक** (सामुदायिक पार्क/पार्क/बहुद्देशीय/जीआर) जोन ई की क्षेत्रीय विकास योजना–2021 के अनुसार	**परिवहन** (टोल प्लाजा)	**उत्तरः** दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस–वे **दक्षिणः** गाजीपुर डेयरी फार्म **पूर्वः** दिल्ली यूपी बोर्डर **पश्चिमः** डॉ. हेडगेवार मार्ग

प्रस्तावित संशोधनों को दर्शाने वाला पाठ/प्लान निरीक्षण के लिए उपर्युक्त अवधि के दौरान सभी कार्य–दिवसों में उप निदेशक कार्यालय, मुख्य योजना अनुभाग, दिल्ली विकास प्राधिकरण छठी मंजिल, विकास मीनार, आई. पी. एस्टेट, नई दिल्ली–110002 में उपलब्ध रहेगा। प्रस्तावित संशोधनों को दर्शाने वाला पाठ/प्लान निम्नलिखित लिंक अर्थात् https://dda.gov.in/mpd-2021-public-notices-2023 पर भी उपलब्ध है।

[फाइल सं. पीएलजी/एमपी/0142/2022/एफ–20/]
हस्ता./– डी. सरकार, आयुक्त एवं सचिव

Follow us on @ddaofficial @official_dda @official_dda_ @Official_dda
Please visit DDA website www.dda.gov.in or Dial Toll Free No. 1800 110 332